

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**  
राजस्व आवेदन सं. 67/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

**वासुराम बनाम जेतमालसिंह वगैरा**

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

दिनांक – 07.04.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा प्रेमसिंह की ढाणी में खेत खसरा सं. 680/465 रकबा 72.00 बीघा भूमि पटवार क्षेत्र देदूसर, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस की एडी. प्राप्त। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी ने खसरा सं. 680/465 की सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट पेश की। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा न प्रेमसिंह की ढाणी में खेत खसरा सं. 680/465 रकबा 72.00 बीघा भूमि पटवार क्षेत्र देदूसर, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुटाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथ)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 356

दिनांक 07/04/2021

प्रार्थी :-

1.वासुराम पुत्र नारणाराम, जाति मेघवाल  
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.जेतमालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत  
2.सुगड़ 3.हरनाथ पि. भोजा 4.चांदी पत्नि  
भोजा 5.महेशा पुत्र शिवा, जातियान मेघवाल  
6.सिदा पुत्र जुगता 7.नेनु पत्नि जुगता  
8.तेजा पुत्र विशना, जातियान जाट  
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर)  
9.प्रधानाचार्य रा.प्रा.वि.समेलों की ढाणी  
10.तहसीलदार चौहटन।  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 67/2019

दिनांक : 07.04.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 680/465 रकबा 72.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 357 to 360

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी वासुराम
3. विप्रार्थीगण जेतमालसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक

07/04/2021

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन